अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मसूदा
श्रीमति कमला उर्फ केमडु बनाम श्री भंवरू वगैरह
किस्म मुकदमा 212 आर0टी0ए0 नंबर 94 सन्..2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.12.2020	प्रार्थीया स्वयं एवं प्रार्थीया के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुनी गई। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि मौजा रूपारेल पटवार हल्का पीपलाज तहसील मसूदा में स्थित खसरा नंबर 526, 530, 566, 605, 642, 644, 895, 898 की भूमियो प्रार्थीया/अप्रार्थीगण के दादा अहमदा पुत्र दूला पुश्तैनी खातेदारी चली आ रही थी। प्रार्थीया नजाबी पुत्री अहमदा की वारीसान है। जिसका का 1/3 प्रार्थीया का है। को उक्त गलत इन्द्राजो की जानकारी होने पर नकले निकलावाई। तथा उक्त दुरूस्ती बाबत दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, तथा प्रार्थीया के हक में प्रथम दृष्टिया मामला बनता है, और सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के हक में बनना पाया जाता है, अतः प्रार्थीया के हक में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की कि जावे कि विवादित भूमि खसरा नंबर 526, 530, 566, 605, 642, 644, 895, 898 को बेचान हस्तांतरण आदि नही करे। अप्रार्थीगण सख्या 01 से 05 ने जवाब पेश कर कथन किया है, कि राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति रखने बाबत अपनी सहमति दिनांक 16.12.2020 को दी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन अप्रार्थीगण ने प्रार्थना का जवाब पेश कर कथन किया है, कि राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति रखने बाबत अपनी सहमति दिनांक 16.12.2020 को दी है। अपनी सहमति देते हुये राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखने का कथन किया गया है। [illegible] में प्रार्थी के हक में प्रथमदृष्टिया केस व सहूलियत का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु होना पाया जाता है। तथा वादीया व प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत [illegible] को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है, कि खसरा नंबर 526, 530, 566, 605, 642, 644, 895, 898 की भूमियो की राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। पक्षकारान खर्चा अपना अपन वहन करे। अतः आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.01.14 15:56:21 IST
Reason: SelfAttested